न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/60/2023	2023/369	26.07.2023	14.08.2025

1. रामावतार यादव पुत्र रामजीलाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी भण्डवाडा तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।
2. अमर सिंह पुत्र रामस्वरूप
3. रामकुंवार पुत्र रामस्वरूप (मृतक)
4. प्रभाती पुत्र रामस्वरूप (मृतक)
   4/1—भूपसिंह पुत्र स्व. श्री प्रभाती
   4/2—रविदत्त पुत्र स्व. श्री प्रभाती
   समस्त जातियान अहीरान निवासीयान ग्राम लोधाडी भण्डवाडा तह0 व जिला अलवर।
   4/3—ओमा पत्नी बिल्लू पुत्र स्व0 श्री प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम सांतो तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।
   4/4—सोमा पत्नी मानसिंह पुत्री स्व0 श्री प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम सांतो तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।
   4/5—जितेन्द्र पुत्र स्व0 श्री प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी भण्डवाडा तह0 व जिला अलवर।
   4/6—सुमन पत्नी विनोद पुत्री स्व0 श्री प्रभाती जाति अहीर निवासी डी.वी.डी. स्कूल के पास नारनौल रोड बहरोड तहसील बहरोड।
5. मोहर सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी भण्डवाडा तह0 व जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) न्यायालय अलवर (राज0)

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 06.07.2022 इंतकाल संख्या 351 ग्राम वाके लोधाडी भण्डवाडा तहसील व जिला अलवर।

उपस्थितः—

01—श्री भगवान सहाय शर्मा —वकील अपीलाण्ट
02—श्री दिनेश यादव —वकील रेस्पो0 सं. 2 ला0 5
02—श्री दीपक मीना — राजकीय अभिभाषक

—:निर्णय:—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 351 निर्णय दि0 06.07.2022 वाके ग्राम लोधाडी भण्डवाडा तहसील व जिला अलवर के द्वारा रेस्पो के पक्ष में नामा0 दर्ज किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि सहायक कलेक्टर अलवर द्वारा दिये गये विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2022 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2022 के आधार पर दर्ज व स्वीकृत किया गया विधि विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 351 दिनांक 06.07.2022 द्वारा तहसीलदार अलवर वाके ग्राम लोधाडी पूर्व ग्राम भण्डवाडा तहसील व जिला अलवर राज० से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) 14/8/25

व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट श्रीमान की सेवा में निम्न प्रकार पेश है। तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2022 में ग्राम लोधाडी भण्डावाडा के आराजी खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर जो अपीलान्ट की खातेदारी का है, में से 25 ऐयर को रेस्पोडेन्टान वादीगण के पक्ष में एक पक्षीय बिना कोई दस्तावेज सबूत के निर्णय कर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये गये। उसके बाद न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर ने बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पर बिना किसी आदेश के मनमर्जी से पुनः संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–04–2022 को आराजी खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर में से 25 ऐयर के स्थान पर 31 ऐयर विधि विरूद्ध तरीके से बिना अपीलान्ट को सूचित किये रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये गये। उक्त आदेश एक पक्षीय व बिना दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के उक्त प्रकरण में दिये गये है तथा इनमें से रेस्पोडेन्ट संख्या–03 राम कुमार पुत्र रामस्वरूप जो अर्से दराज से लगभग 08–10 साल पहले फौत हो चुका था। इसके उपरान्त भी वादीगण रेस्पोडेन्टान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को मरम्मत सवाल/सूचना नही दी गई और तहत न्यायालय ने रेस्पोडेन्टान के नाम मृतक रामकुंवार को भी शामिल करते हुये उक्त निर्णय व डिक्री जारी कर दी और इस आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या–01 ने नामा० संख्या 351 दिनांक 06.07.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 03 मृतक रामकुंवार को भी शामिल करते हुये मंजूर कर दिया। जो समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध की गई है। उक्त नामान्तकरण की जानकारी जैसे ही अपीलान्ट को हुई तो उसकी नकल दिनांक 08.07.2022 को प्राप्त कर नकल के समय को मुजरा देने से अपील अन्दर मियाद श्रीमान के न्यायालय में पेश की जा रही है।

तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2022 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2022 विधि विरूद्ध रिकोर्ड के विपरीत एक पक्षीय व मृतक के नाम जारी होने के कारण उसके आधार पर दर्ज कर स्वीकार किया गया नामान्तकरण संख्या 06.07.2022 काबिल खारिज है। उक्त अपील में तहत न्यायालय ने न तो वादीगण रेस्पोडेन्टान से कोई रिकोर्ड प्रस्तुत करवाया और नाही रिकोर्ड पर गौर किया गया। अपीलान्ट के नाम की फर्जी तामील बताकर एक पक्षीय कर विधि विरूद्ध निर्णय कर दिया गया। इस अपील से संबंधित आराजी खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर अब ग्राम लोधाडी पूर्व में ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राज०के रिकोर्ड की स्थिति इस प्रकार है। ग्राम लोधाडी जो वाके ग्राम भण्डवाडा में से संवत 2051 के बन्दोबस्त के बाद बना है। इसलिये संवत 2051 व इससे पूर्व का रिकोर्ड ग्राम भण्डवाडा में ही है। विवादित भूमि वाके ग्राम भण्डावाडा का संवत 2051 के बन्दोबस्त से पूर्व साबिक खसरा नंबर सिवायचक खसरा नंबर 938 कुल रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा था। संवत 2036 की जमाबंदी अनुसार सन 1975 में इसमें से बाला पुत्र सुखमन जाति नट को 4 बीघा, मेढंक पुत्र गुल्ला नट को 4 बीघा, अपीलान्ट के पिता रामजीलाल व उसके भाई सरदारा पुत्रान मोहब्बत जाति अहीर को 6 बीघा का आवंटन हुआ था तथा रेस्पोडेन्टान के पिता रामस्वरूप पुत्र उमदा राम अहीर को 1 बीघा आवंटन हुआ था। 'शेष भूमि उक्त खसरा नंबर 938 में 19 बीघा 18 बिस्वा सिवायचक की बची। अपीलान्ट के पिता रामजीलाल व उसके भाई सरदारा पुत्रान मोहब्बत अहीर के नाम आवंटित इस खसरा नंबर में से 6 बीघा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 214 दिनांक 10.10.1977 को गैर खातेदारी का दर्ज हुआ और कीमत जमा कराकर खातेदारी का पट्टा लेने के बाद नामान्तकरण संख्या 439 दिनांक 22.06.1985 को खातेदारी का दर्ज हुआ है तथा रेस्पोडेन्टान के पिता रामस्वरूप के नाम इस खसरा नंबर 938 में से आवंटित भूमि 1 बीघा का इंतकाल नंबर 233 आवंटन का दर्ज हुआ और नामान्तारकरण संख्या 531 खातेदारी का दर्ज हुआ। बाद में साबिक खसरा नंबर 938 रकबा 6 बीघा आवंटित भूमि में से अपीलान्ट के पिता रामजीलाल की मृत्यु उपरान्त इसका 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के नाम 3 बीघा भूमि आ गई और अपीलान्ट के पिता रामजीलाल के भाई सरदारा ने अपने आवंटनशुदा भूमि में से हिस्से में आई 3 बीघा भूमि को

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

जगदीश, इन्द्राज, पूर्ण, भोमा राम पुत्रान रूडा राम अहीर को बेचान कर दी। जो अब उनके नाम दर्ज रिकोर्ड है। जिसके हाल खसरा नंबर 1107 रकबा 69 ऐयर व 1108/1608 रकबा 06 ऐयर बाद बन्दोबस्त बने है। जिस पर अब कोई विवाद नही है तथा रामस्वरूप पुत्र उमदा राम जोकि रेस्पोडेन्टान के पिता है को आवंटित साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 1 बीघा का बाद बन्दोबस्त संवत 2051 के हाल खसरा नंबर 1390 रकबा 26 ऐयर बना है जो रामस्वरूप की मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज रिकोर्ड है और अपीलान्ट के पिता रामजीलाल के हिस्से में आई आंवटित भूमि साबिक खसरा नंबर 938 मिन 3 बीघा के बन्दोबस्त के बाद हाल खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर व 1391/1592 रकबा 39 ऐयर कुल किता 02 रकबा 76 ऐयर बने है। जो विरासत में अपीलान्ट रामावतार पुत्र रामजीलाल की खातेदारी में आ गये। मिसले बन्दोबस्त संवत 2051 में उक्त खातेदारी अनुसार सबके खाते अलग–अलग विधिवत दर्ज है।

अपीलान्ट व सरदारा पुत्र मोहब्बत (अपीलान्ट के पिता का भाई) ने साबिक खसरा नंबर 938 मिन 6 बीघा की विधिवत कीमत भूमि 1,000/–रूपये प्रति स्टैण्डर्ड ऐकड की दर से कीमत जमा करा कर सनद पट्टा खातेदारी का सनद पटटा नंबर 212 दिनांक 29.05. 1985 को प्राप्त कर नामा० संख्या 439 दिनांक 22.06.1985 को दर्ज करा कर खातेदारी प्राप्त कर ली, जो आवंटन के समय सन 1975 से आज तक अपीलान्ट के कब्जे में चला आ रहा है। और आज भी मिन अपीलान्ट के कब्जे में है और मौके पर फसल खडी हुई है। इस प्रकार रेस्पोडेन्टान का ये कथन बिल्कुल असत्य है कि बन्दोबस्त संवत 2051 से अपीलान्ट ने उक्त खसरा नंबर विवादित 1381 रकबा 37 ऐयर की खातेदारी गलत दर्ज कराली।

रेस्पोडेन्टान ने तहत अदालत में गलत तथ्यों के आधार पर दावा इस्तकरार हक दिनांक 15.06.1998 को पेश किया जिसका मिन अपीलान्ट ने दिनांक 23.02.1999 को जवाब पेश कर दिया था, परन्तु यह दावा अदम पैरवी में दिनांक 20.07.2011 को खारिज हो गया। उसके बाद अपीलान्ट के पास कोई सूचना इस बाबत न्यायालय से नहीं दी गई। अब मिन अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी होने पर तहत न्यायालय की पत्रावली देखने से पता चला कि मिन अपीलान्ट के नाम की फर्जी तामील दिखा कर दिनांक 09.08.2012 को बेजा तौर पर मिन प्रार्थी अपीलान्ट को एक पक्षीय कर दिया गया तथा तहत न्यायालय ने फर्जी तामील पर कोई गौर नही किया। नाही तहत न्यायालय ने मिन अपीलानट को जरिये रजिस्ट्री सम्मन तामील कराने के आदेश दिये इस तरह गैर कानूनी तरीके से एक तरफा कार्यवाही तहत न्यायालय में चलती रही है मिन अपीलान्ट को कोई जानकारी किसी प्रकार की नही हुई। ना ही अपीलान्ट को पैरवी करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, अपना पक्ष रखने, साक्ष्य प्रस्तुत करने, व बहस में अपना अधिवक्ता खडा कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई मौका नही दिया गया और परिणामस्वरूप बिना अपीलान्ट की पैरवी साक्ष्य सबूत व अधिवक्ता के एक पक्षीय विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2022 को जारी कर दी गई और मनमर्जी से तहत न्यायालय ने गैर कानूनी तरीके से निर्णित रकबा पुनः बदलते हुये संशोधित डिक्री व निर्णय दिनांक 20.04.2022 को जारी कर दी। निर्णय व संशोधित डिक्री जारी करने से पूर्व भी मिन अपीलान्ट को कोई सूचना नही दी गई। उक्त विधि विरुद्ध निर्णय व डिक्री के खिलाफ विधिवत न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अलवर में अपीलान्ट द्वारा अपील दायर कर दी गई है जो विचाराधीन है। इस प्रकार उक्त विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 351 दिनांक 06.07.2022 भी विधि विरूद्ध है।

तहत न्यायालय ने दिनांक 11.04.2022 को खसरा नंबर 1381 वाके ग्राम लोधाडी तहसील अलवर रकबा 37 ऐयर में से 25 ऐयर रेस्पोडेन्टान के नाम करने का एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर दिया और बिना किसी कारण व सबूतों के तथा अपीलान्ट को सूचित किये बिना मनमर्जी से पुनः संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–04–2022 को पारित कर उक्त खसरा नंबर 37 ऐयर में से 25 ऐयर के स्थान पर 31 ऐयर रेस्पोडेन्टान के नाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)
14/8/25

दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये गये। जिस निर्णय में कोई इस बाबत कारण दर्ज नही किया गया-है। दोनों निर्णय दिनांक 11-04-2022 व संशोधित निर्णय दिनांक 20-04-2022 अक्षरशः वोकेवो है केवल रकबा 25 ऐयर से 31 ऐयर किया गया है। इसलिये इसके आधार पर दर्ज नामा० संख्या 351 हर सूरत में गैर कानूनी होने के कारण निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्टान द्वारा आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नंबर 938 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा को जरिये इकरारनामा दिनांक 07.08.1980 को उम्मेद पुत्र हुसैना मेव निवासी ग्राम डाडा से मुबलिग 4,000/-रू० चार हजार रूपयें में खरीद करना बताया है और तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे माना है परन्तु तहत न्यायालय ने उक्त इकरारनामे में लिखे गये खरीददार के नाम पर कोई गौर नहीं किया गया। असल में उम्मेद पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी ग्राम डाडा से जरिये इकरारनामा दिनांक 07.06.1980 को उक्त साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम भण्डवाडा तहसील व जिला अलवर राज० अमर सिंह पुत्र भूर सिंह अहीर निवासी ग्राम खेडकी तहसील बहरोड ने दिनांक 07.06.1980 को मुबलिग 4,200/-रू० चार हजार दौ सो रूपये में खरीदना व 2,000/-रू० दो हजार रूपये पेशगी दिये जाना व शेष 2200/-रूपयें दो हजार दो सौ रूपये वक्त रजिस्ट्री देने का वादा उक्त इकरारनामे में किया गया था व खरीददार अमर सिंह पुत्र भूर सिंह जाति अहीर निवासी खेडकी तहसील बहरोड है और रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अमर सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी ग्राम भण्डावाडा है। उक्त दोनों व्यक्ति अलग-अलग है। इसलिये अमर सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा इस इकरारनामा से कोई रकबा खरीद नंहीं किया गया है। वास्तविक खरीददार अमर सिंह पुत्र भूर सिंह अहीर निवासी खेडकी तहसील बहरोड का है, जो आज भी जीवित अवस्था में है और वहाँ रहता है। प्रमाण में उसकी निर्वाचक नामावली 2022 (मतदाता सूची 2022) विधानसभा क्षेत्र बहरोड 62 के भाग संख्या 184 की क्रम संख्या 867 पर अमर सिंह पुत्र भूरा राम आयु करीब 69 साल लिंग पुरुष मकान संख्या 138 ग्राम खेडकी तहसील बहरोड में नाम दर्ज है। ताईद में मतादाता सूची सन 2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। जिस पर कम संख्या 867 से 872 तक उसके स्वयं के एवं उसके परिवारजनों के नाम मतदाता सूची ग्राम खेडकी विधानसभा बहरोड जिला अलवर सन 2022 में नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि उक्त वर्णित इकरारनामे से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अमर सिंह ने कोई भूमि नहीं खरीदी है।

उक्त वर्णित इकरारनामे को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपने नाम खरीद का बता कर तत्कालीन तहसीलदार व पटवारी को गुमराह कर अपने साथ अन्य भाईयों को भी गलत तरीके से शामिल करते हुये नियम विरूद्व सनद पट्टा खातेदारी का नंबर 541 दिनांक 16.07.1990 साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा का जारी करा लिया। वैसे भी जब इकरारनामा साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा का था तो सनद पटटा 2 बीघा 15 बिस्वा का जारी क्यों कराया गया। इससे भी उनकी बदनियती साफ जाहिर होती है। मौके की रिपोर्ट भी तत्कालीन पटवारी को गुमराह कर रेस्पोडेन्टान ने साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर कब्जे की करा ली गई क्यों कि यह खसरा नंबर 938 काफी बडा कुल 34 बीघा 18 बिस्वा का है। इसलिये इसके आधार पर निर्णय दिनांक 20.04.2022 गैर कानूनी है और इसके आधार पर दर्ज व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 351 दिनांक 06.07.2022 निरस्त योग्य है।

उक्त साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा जिसका रेस्पोडेन्टान द्वारा षडयन्त्र रचकर सनद पट्टा लेकर खातेदारी करायी है व बन्दोबस्त संवत 2051 द्वारा रेस्पोडेन्टान व अन्य लोगों के साथ खातेदारी में दर्ज कर इनके नाम रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी इसके आधार पर कर दी गई। जिसमें रेस्पोडेन्टान अमर सिंह, राम कुँवार (मृतक), मोहर सिंह व प्रभाती (मृतक) पिसरान रामस्वरूप रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, जोरावर पुत्र चिरंजीलाल अहीर रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, मु० पॉची बेवा खिल्लू जाति नट रकबा 1

15/8/25
आ. रेवेन्यू जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

बीघा, बाला पुत्र सुखमन रकबा 4 बीघा, मैढक पुत्र गुल्ला जाति नट रकबा 4 बीघा खातेदार साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 14 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 1104 रकबा 19 ऐयर, 1106 रकबा 36 ऐयर, 1108 रकबा 62 ऐयर, 1109 रकबा 55 ऐयर, 1391/1595 रकबा 1.81 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 3.53 हैक्टेयर की खातेदारी इनके शामलात में इनकी खातेदारी का रकबा अलग–अलग दर्ज करते हुये खाता बनाया गया है और बाद में रिकोर्ड शुद्धिकरण व आदिनांक कर राजस्व विभाग ने वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074, वर्ष 2018 से स्थाई जमाबंदी में इन सह–खातेदारों का खाता अलग–अलग कायम करते हुये खसरा नंबर 1391/1595 रकबा 1.81 हैक्टेयर के बँटवारा कर 2 खसरा नंबर बनाकर जिसमें से एक खसरा नंबर 1673/1391 रकबा 1.2564 हैक्टेयर बना दिया, जिसमें से रेस्पोडेन्टान के नाम इसमें से कुल रकबा 0.8668 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया व अन्य सह खातेदार मु० पाँची बेवा खिल्लू की भूमि के खरीददार ख्याली पुत्र उदयराम के नाम रकबा 0.2531 हैक्टेयर व जोरावर पुत्र चिरंजीलाल अहीर के नाम रकबा 0.1375 हैक्टेयर इनका हिस्सा दर्शाते हुये खातेदारी में दर्ज कर दिये गये है। इस प्रकार वादीगण रेस्पोडेन्टान के साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के स्थान पर वर्तमान जमाबंदी में 0.8668 हैक्टेयर अर्थात 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी गई है। जो इनकी पटटे की भूमि रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा से 15 बिस्वा भूमि अधिक है और दूसरा खसरा नंबर जो 1391/1595 रकबा 1.81 का बनाया गया है। वह खसरा नंबर 1672/1391 रकबा 0.5536 हैक्टेयर बनाया गया है। जो अन्य खसरा नंबरान हाल 1104 रकबा 19 ऐयर, 1106 रकबा 36 ऐयर, 1108 रकबा 62 ऐयर, 1109 रकबा 55 ऐयर के साथ दर्ज कर अन्य सह खातेदारों मैढक के वारिसों, बाला पुत्र सुखमन के नाम खातेदारी का अलग खाता बना कर अलग–अलग हिस्सा जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इस प्रकार रेस्पोडेन्टान के नाम रिकोर्ड में उनके रकबे से अधिक रकबा 15 बिस्वा अर्थात 18 ऐयर आज दिनांक को जमाबंदी में दर्ज है।

अपीलान्ट का हाल खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर खातेदारी में उसके नाम से ही सही दर्ज है जो मिन अपीलान्ट के पिता का आवंटनशुदा व अपीलान्ट द्वारा कीमत जमा कराकर खातेदारी का पट्टा प्राप्त कर खातेदारी में कराया हुआ है। पूर्व में अपीलान्ट का पिता जब तक जीवित था, काश्त करता रहा और उसकी मृत्यु उपरान्त मिन अपीलान्ट बराबर काबिज है। इसमें से तहत अदालत ने रकबा 31 ऐयर भूमि अपने संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2022 के द्वारा रेस्पोडेन्टान के नाम गलत दर्ज करने के आदेश दिये है। उक्त निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 351 गलत दर्ज किया गया है। जिसके लिये अपील दायर की गई है, क्योंकि हाल खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर अपीलान्ट की खातेदारी में बन्दोबस्त संवत 2051 द्वारा गत रिकोर्ड अनुसार सही दर्ज किया गया है अपीलान्ट के नाम संवत 2036 की जमाबंदी से ही जब से भूमि आवंटित हुई है, तब से ही नाम चला आ रहा है तथा दिनांक 29.05.1985 को अपीलान्ट ने उक्त साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 6 बीघा की जिसमें से 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के हिस्से में आता है, की कीमत जमा कराकर खातेदारी का सनद पट्टा प्राप्त कर नामान्तरकरण संख्या 439 खातेदारी का दर्ज कराया है। तब से निर्विवाद उक्त भूमि खातेदारी में चली आ रही है। पूर्व रिकोर्ड अनुसार ही बन्दोबस्त सवंत 2051 में अपीलान्ट के नाम खातेदारी पूर्व अनुसार ही दर्ज की गई है।

रेस्पोडेन्टान का यह कथन असत्य है कि बन्दोबस्त संवत 2051 के द्वारा अपीलान्ट के नाम उक्त खसरा नंबर हाल 31 ऐयर गलत दर्ज किया गया है। इसलिये तहत न्यायालय ने इस खसरा नंबर हाल 1381 रकबा 37 ऐयर में से रकबा 31 ऐयर कम कर रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज करने के संशोधित आदेश दिनांक 20.04.2022 को जारी कर भारी भूल की है। इसलिये इस निर्णय के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 351 दिनांक 06.07.2022 खारिज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर (राज०)
14/8/25

किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टान का दावा व कथन यह बिल्कुल अनुचित है कि अपीलान्ट के हाल खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर में उनकी खातेदारी का रकबा मिला हुआ है, जबकि कोई रकबा मिला हुआ नहीं है और यह भी रेस्पोडेन्टान ने तहत न्यायालय में दावा में गलत लिखा है कि हाल खसरा नंबर 1388 रकबा 8 ऐयर, 1389 रकबा 11 ऐयर व खसरा नंबर 1391/1593 रकबा 18 ऐयर रेस्पोडेन्टान के है। बल्कि उक्त तीनों खसरा नंबरान सिवायचक दर्ज रिकोर्ड है। इन खसरा नंबरों से रेस्पोडेन्टान का कोई लेना देना नही है। मिसल बन्दोबस्त संवत 2051 व बाद की जमाबंदियां व वर्तमान जमाबंदी सभी में सिवायचक दर्ज रिकोर्ड है। यदि रेस्पोडेन्टान का कब्जा उक्त सिवायचक खसरा नंबरान पर है, तो इनके खिलाफ अतिक्रमण की शीघ्र अतिशीघ कानूनी कार्यवाही कर इनको उक्त भूमि से बेदखल किया जाना न्यायोचित है। मिसल बन्दोबस्त संवत 2051 व वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित नकल संलग्न है।

इस प्रकार रेस्पोडेन्टान ने सिवायचक खसरा नंबरान अपने नाम गलत बता कर बिना रिकोर्ड प्रस्तुत किये न्यायालय को गुमराह कर अपने पक्ष में निर्णय कराया है। हाल खसरा नंबर 1390 रकबा 26 ऐयर साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 1 बीघा रेस्पोडेन्टान के पिता के नाम अलौटशुदा है व रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज जमाबंदी में है। तथा रेस्पोडेन्टान ने जो साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा इकरारनामे को आधार बना कर जो उम्मेद पुत्र हुसैना मेव ने अमर सिंह पुत्र भूर सिंह अहीर निवासी खेडकी को बेचान किया था उसको गलत तरीके से अपनी खरीद बता कर गलत तरीके से खातेदारी का पटटा प्राप्त कर खातेदारी में दर्ज कराया है। वह भी हाल खसरा नंबर 1673/1391 रकबा 1.2564 हैक्टेयर में से 0.8668 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्टान की खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है जो उक्त रकबे 02 बीघा 15 बिस्वा से 15 बिस्वा अर्थात 18 ऐयर अधिक है। इस प्रकार रेस्पोडेन्टान के पास रिकोर्ड अनुसार रकबा उनके वास्तविक रकबे से अब भी अधिक है और हाल खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर जोकि अपीलान्ट का है उसमें उनका कोई रकबा मिला हुआ नही है। उनका यह कथन पूर्णतया अनुचित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 रामकुँवार पुत्र रामस्वरूप अहीर की मृत्यु बहुत पहले लगभग 8 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है अन्य वादीगण को मरम्मत सवाल निर्धारित अवधि में अविलम्ब प्रस्तुत कर तहत न्यायालय को सूचना देनी चाहिये थी। जो कि रेस्पोडेन्टान की जिम्मेवारी बनती है। आठ–दस साल तक दावा तहत न्यायालय में चलता रहा और रामकुँवार की मृत्यु की सूचना तहत अदालत को नहीं दी गई, जो कानूनन पूर्णतया गलत है। दावा उसी समय अबेट हो चुका है उसके बाद भी तहत न्यायालय ने मृतक रेस्पोडेन्ट को शामिल करते हुये निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई और उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 351 भी मृतक रामकुँवार के नाम को शामिल करते हुये दर्ज व स्वीकृत कर दिया गया। इसलिये वादीगण की घोर लापरवाही व विधि विरूद्ध कृत्य है और तहत न्यायालय द्वारा भी पूर्णतया अनदेखी की गई है। इसलिये तहत न्यायालय की पूर्ण कार्यवाही अविधिक है।

अपीलान्ट के पिता व उसके भाई सरदारा पुत्रान मोहब्बता के नाम आवंटित भूमि साबिक खसरा नंबर 938 रकबा 06 बीधा में से 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के हिस्से में आयी है 03 बीघा भूमि के बने हाल खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर व 1391/1592 रकबा 39 ऐयर कुल किता 02 कुल रकबा 76 ऐयर अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज चले आ रहे हैं। अपीलान्ट शुरू से आज तक उक्त खसरा नंबरान पर काबिज चला आ रहा है और अब भी अपीलान्ट की फसल मौके पर खडी हुई है। मौका व रिकोर्ड में अपीलान्ट का रकबा पूरा है और अधिक नही है तथा रेस्पोडेन्ट का कोई रकबा इसमें शामिल किया हुआ नही है। रेस्पोडेन्टान का रकबा साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 1 बीघा जिसका हाल खसरा नंबर 1390 रकबा 26 ऐयर व साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा जिसकी खातेदारी का सनद पट्टा गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया है, के हाल खसरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) 1/4/25

नंबर 1673/1391 रकबा 1.2564 हैक्टेयर में से 0.8668 हैक्टेयर उनके हिस्से में रकबा वर्तमान जमाबंदी में स्पष्ट दर्ज किया हुआ है। जो उनके वास्तविक रकबे से अधिक है। इस प्रकार तहत न्यायालय का निर्णय व उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 351 दिनांक 06.07.2022 पूर्णतया त्रुटिपूर्ण व खारिज किये जाने योग्य है। इसलिये अपीलान्ट की खातेदारी के हाल खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर में रेस्पोडेन्टान का कोई रकबा मिला हुआ नहीं है। उक्त खसरा नंबर से रेस्पोडेन्टान का कोई तालुक, कोई वास्ता, व सरोकार न कभी था और ना ही है। वादीगण रेस्पोडेन्टान उक्त आराजी मुतनाजा से गैर वास्ता है।

तहत न्यायालय के आदेश से दर्ज व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 351 दिनांक 06.07.2022 से हाल खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर वाके ग्राम लोधाडी अपीलान्ट की खातेदारी में से रकबा 31 ऐयर भूमि रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज करा दी गई। अब रेस्पोडेन्टान के नाम हाल खसरा नंबर 1390 रकबा 26 ऐयर जो साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 1 बीघा से बना है तथा हाल खसरा नंबर 1673/1391 रकबा 1.2564 हैक्टेयर में से रेस्पोडेन्टान का 0.8668 हैक्टेयर जो साबिक खसरा नंबर 938 मिन रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा से बना है। इस प्रकार रेस्पोडेन्टान के पास अब रकबा 15 बिस्वा अर्थात 18 ऐयर अधिक पहले से ही है और अपीलान्ट के हाल खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर में से 31 ऐयर इस विवादित नामान्तरकरण संख्या 351 से दर्ज करने के बाद उनके पास 1.4368 हैक्टेयर भूमि हो जाती है। जबकि होनी चाहिये थी साबिक 938 मिन रकबा 1 बीघा तथा खसरा नंबर 938 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा अर्थात 0.94 हैक्टेयर जबकि इसके स्थान पर उनके नाम उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 351 स्वीकृत होने के बाद रकबा 1.4368 हैक्टेयर कर दिया गया जो उनके वास्तविक रकबे से 0.4968 हैक्टेयर रिकोर्ड अनुसार अधिक दर्ज कर दिया गया। जो रिकोर्ड व उनके मौके कब्जे के विपरीत है और हाल खसरा नंबर 1388 रकबा 8 ऐयर व 1389 रकबा 11 ऐयर व 1391/1593 रकबा 18 ऐयर कुल किता 03 कुल रकबा 37 ऐयर सिवायचक पर भी रेस्पोडेन्टान अपना कब्जा बता रहे है। तहत न्यायालय ने पिलीडिंग अनुसार तनकी कायम नहीं की और ना ही तनकीयात वादीगण के पक्ष में प्रमाणित हुई है। तहत न्यायालय ने बिना दस्तावेज एक तरफा फर्जी तामील के आधार पर गैर कानूनी निर्णय पारित किया है तथा उक्त खसरा नंबर अपीलान्ट का 1381 रकबा 37 ऐयर पंजाब नेशनल बैंक चॉदोली में रहनशुदा भूमि का नामान्तरकरण भी रेस्पोडेन्टान के नाम कर दिया गया, जबकि नियमों के अनुसार रहन भूमि का नामा० बिना रहन फक हुये स्वीकृत नही किया जाना चाहिये था, परन्तु ना तो तहत न्यायालय ने गौर किया और नाही रेस्पोस्पोडेन्ट संख्या 01 तहसीलदार अलवर ने इस और कोई ध्यान दिया। इसलिये पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध है।

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अलवर में तहत न्यायालय के निर्णय की अपील प्रस्तुत कर दिनांक 06.07.2022 को स्थगन प्राप्त कर तहसीलदार अलवर व हल्का पटवारी को न्यायालय का स्थगन आदेश देने के बावजूद नामान्तरकरण संख्या 351 स्वीकृत कर दिया गया जो गैर कानूनी है और माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया है। अपील प्रथम द्रष्ट्या व सुविधा का संतुलन तथा नापूर्ति होने वाली क्षति मिन प्रार्थी अपीलान्ट के हक में आयद एवं साबित है। नामा० संख्या 351 जोकि तहत न्यायालय के संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2022 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। विवादित आराजी खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर वाके ग्राम लोधाडी तहसील व जिला अलवर में स्थित है तथा तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। इसलिये श्रीमान को अपील श्रवण व निस्तारण किये जाने का अधिकार है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर के अविधिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2022 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2022 के आधार पर

आ० रक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

आराजी खसरा नंबर 1381 रकबा 37 ऐयर में से 31 ऐयर का नामान्तरकरण संख्या 351 दिनांक 06.07.2022 वाके ग्राम लोधाडी तहसील व जिला अलवर जो विधिविरूद्ध दर्ज व स्वीकृत किया गया है, को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता अपी0 द्वारा अपने समर्थन में RRD-14.09.2017 Sahab Ram & anr. V/s State of Raj. & anr. -(119), Jhuntha Ram & ors. V/s Palu Ram & anr. -(117), RRD-14.1.2018 Hariram V/s State of Raj.-(8), 2023(1) RRT 349 न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

रेस्पो0 सं. 02 लगायत 05 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में अंकित किया है कि उक्त इंतकाल न्यायालय सहायक कलक्टर के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त नामांतकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर अपील पेश की है। मिन रेस्पाडेन्टान की ओर से माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 1/114 बअनुवानी अमरसिंह वगैरा वादीगण बनाम रामावतार वगैरा प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया था जिसमें बाद तलबी अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया गया। लेकिन कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की। दावा एवं जवाब दावा के आधार पर कुल चार तनकीयात कायम की गई जिनका सिलसिले वार विस्तृत रूप से विवेचन कर उक्त विवाद्यकों पर निर्णय पारित किया। जिसमें पूरा जमाबंदी रिकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य रेस्पाडेन्ट वादी के पक्ष में साबित होने पर सहायक कलक्टर अलवर द्वारा डिक्री किया गया है। जिसके आधार पर उक्त नामांतकरण संख्या 351 स्वीकार किया गया है। दावा सहायक कलक्टर अलवर की अदालत के समक्ष तनकी नम्बर 1 व 2 को साबित करने का भार मिन रेस्पाडेन्टान/वादी पर था। जिनका मिन रेस्पाडेन्टान द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य से अपने पक्ष में साबित किया। अपीलान्ट/प्रतिवादी को तनकी नम्बर 3 को साबित करना था, किन्तु उसके उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध दिनांक 09.08.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। चूँकि वह जानता था कि वह तनकी नम्बर 3 को साबित नहीं कर सकता है।

बाद बहस मिन रेस्पाडेन्टान/वादी के हक में वाद का दिनांक 20.04.2022 को निस्तरण कर निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसकी पालना में ही उपरोक्त नामंतकरण संख्या 351 दिनांक 06.07.2022 द्वारा तहसीलदार अलवर द्वारा जरिये इजराय आदेश से स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त नामांतकरण निरस्त नही किया जा सकता है। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री आज तक वादी/रेस्पाडेन्टान के पक्ष में प्रभाव में है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांन्ट मय हर्जा और खर्चा खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष

पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। विवादित भूमि खसरा नंबर 1381, रकबा 37 ऐयर ग्राम लोधाड़ी, तहसील व जिला अलवर से संबंधित है। सहायक कलेक्टर अलवर ने 11.04.2022 को निर्णय देकर उसमें से 25 ऐयर, और बाद में संशोधित निर्णय 20.04.2022 में 31 ऐयर, रेस्पॉन्डेंट के नाम दर्ज करने के आदेश दिए। इस आदेश के आधार पर नामांतरण संख्या 351, दिनांक 06.07.2022 तहसीलदार अलवर ने रेस्पॉन्डेंट के नाम स्वीकार कर तस्दीक कर दिया। वकील अपीलण्ट का कथन है कि यह आदेश एकपक्षीय (ex-parte), बिना सुनवाई का मौका, उचित दस्तावेज़ व साक्ष्य, और मृतक व्यक्ति के नाम शामिल करते हुए दिया गया है। विवादित भूमि अपी0 के पिता को 1975 में अलॉट हुई थी, जिसकी कीमत जमा कर 1985 में खातेदारी पट्टा मिला, तब से कब्ज़े में है। खसरा नंबर 1381 में रेस्पॉन्डेंट का कोई हिस्सा नहीं है। वकील रेस्पॉन्डेंट के मुख्य तर्क है कि नामांतरण सहायक कलेक्टर के डिक्री के आधार पर किया गया, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता को केस में बुलाया गया था, उसने जवाब भी दाखिल किया लेकिन कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

14/8/25

अति. रक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

सभी दस्तावेज़ और जमाबंदी रिकॉर्ड के आधार पर सहायक कलेक्टर ने रेस्पॉन्डेंट के पक्ष में निर्णय दिया। सहायक कलेक्टर का निर्णय आज तक प्रभावी है, इसलिए नामांतरण वैध है।

यह अपील अपीलाण्ट द्वारा नामांतरण संख्या 351 दिनांक 06.07.2022 को निरस्त करने के लिए की गई है, जो कि सहायक कलेक्टर के दिनांक 20.04.2022 के संशोधित निर्णय के आधार पर हुआ। यदि मूल डिक्री ही अवैध साबित हो जाती है (एकपक्षीय, मृतक का नाम, फर्जी तामील, गलत खरीदार आदि), तो उसके आधार पर किया गया नामांतरण स्वतः निरस्त हो सकता है। चूंकि, अपीलाण्ट की दूसरी अपील सहायक कलेक्टर के निर्णय के खिलाफ पहले से राजस्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष लंबित है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश इन्तकाल सं0 351 दिनांक 06.07.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)